UPAG010063222026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2706/2026

मनोज यादव उर्फ मोनू यादव पुत्र श्यामबाबू यादव निवासी– कालिन्दी विहार, नगला रामबल थाना ट्रांस यमुना, जिला आगरा उम्र करीब 39 वर्ष

. ..... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 147/2026
धाराः 191(2),191(3),190,115(2),352, 351(3),109(1),308(5) भारतीय न्याय संहिता
थानाः ट्रांस यमुना जिला आगरा।

दिनांक 19.06.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त मनोज यादव उर्फ मोनू यादव की ओर से मु0अ0सं0 147/2026 अन्तर्गत धारा– 191(2),191(3),190,115(2),352, 351(3),109(1),308(5) भारतीय न्याय संहिता थाना ट्रांस यमुना, जिला आगरा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के भाई अनिल यादव द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्णित है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। कथित घटना में अभियुक्त की कोई विशेष भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। सत्यता यह है कि वादी द्वारा अपना कथित होटल दिनांक 26.10.2025 को धीरेन्द्र सिंह चौहान को बतौर संचालन व एग्रीमेंट कर मु0 18,000 रूपये महीने पर दिया गया था। वादी द्वारा दर्ज कराई गयी प्राथमिकी में वर्णित घटना के संबंध में तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त,छत्ता, अगारा द्वारा

जांच कराई गयी, जिसमें आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। वादी द्वारा प्राथमिकी में दूसरी घटना दिनांक 17.04.2026 की दर्शित की गयी है, जिसमें घटना के समय चलाये जा रहे ढाबा संचालक धीरेन्द्र का मौके पर होना ही नहीं बताया गया है, सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा की गयी जांच के दौरान यह पाया गया कि आवेदक/अभियुक्त एवं विपक्षीगण के मध्य पूर्व से रंजिश है एवं आवेदक द्वारा लगभग चार माह से ढाबा का संचालन नहीं किया जा रहा है। आवेदक की संपत्ति पर वर्तमान में धीरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा किराये पर जायका नाम से ढाबा का संचालन किया जा रहा है तथा उसने अपने कथन में विपक्षीगण से कोई भी समस्या न होना कहा है। रंजिश के कारण अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग दर्ज कराया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध जो पूर्व आपराधिक इतिहास दर्शित किये गये हैं, उनमें से कुछ अभियोगों में अभियुक्त दोषमुक्त हो चुका है एवं कुछ प्रकरण में जमानत पर है, जिनका विस्तृत विवरण शपथपत्र में दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 04.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी राजू द्वारा थाना ट्रांस यमुना, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि वह ढाबा संचालक है, जो कालिन्दी विहार, आगरा पर है। उसके गांव के ही हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर मोनू यादव उससे लम्बे समय से रंगदारी मांगता है तथा आये दिन ढाबे पर अपने गुर्गो सहित खाना खाने आ धमकता है, पैसे मांगने पर गालियां व जान से मारने की धमकी देता है। मोनू यादव के भय से उसने अपना ढाबा किराये पर दे दिया है, परन्तु मोनू यादव उसे परेशान कर रहा है। दिनांक 22.01.2026 को समय करीब 04.15 बजे शाम पंचमुखी मंदिर नगला रामबल के पास मोनू यादव, उसका लड़का रजत यादव, भाई सेठी यादव, सोनू यादव, मुरली यादव घात लगाकर बैठे थे, वह जैसे ही वहां पर पहुंचा तो उसे इन लोगों ने रास्ते में रोका और कहा कि वह उनसे खाने के पैसे मांगता है, उसने विरोध किया तो मोनू यादव ने गाली गलौज करते हुए उस पर जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचे से फायर कर दिया तथा रजत यादव, सेठी यादव, मुरली यादव ने मिलकर उसे गालियां देते हुए लाठी डण्डों से प्रहार किया,जिससे उसके चोटें आई। उसने जान बचाने के लिए शोर किया तो वे लोग भाग गये। मोनू यादव कुछ दिन पहले किसी मुकदमे में जेल चला गया। दिनांक 16.04.2026 को जेल से छूटकर आ गया है, दिनांक 17.04.2026 को सुबह के समय किराये लेने नगला रामबल से

अपने ढाबे पर जा रहा था तो रास्ते में उसे मोनू यादव ने रोक लिया और कहने लगा कि उसे चौथे के दस लाख रूपये दे दो, नहीं तो वह उसकी व उसके परिवार की हत्या कर देगा। इस डर की वजह से उसने अपनी जेब में रखे करीब तीस हजार रूपये मोनू को दे दिये। वह तथा उसका परिवार काफी डरा हुआ है।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना ट्रांस यमुना आगरा पर मु0अ0सं0 147/2026 अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109, 308(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा एवं वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि अभियुक्त अपराधी किस्म का है तथा उसके विरूद्ध हत्या से सम्बन्धित अभियोग सहित कुल 31 आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, आगरा के तर्को को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी को जान से मारने की नीयत से फायर किया जाना एवं वादी को मृत्यु का भय दिखाकर उससे तीस हजार रूपये की वसूली किया जाना आदि आक्षेपित है।

प्राथमिकी में वर्णित तथ्य तथा वादी के बयान के अनुसार यह निर्विवादित है कि कथित घटना दिनांक 22.01.2026 में वादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की कोई भी चोट नहीं आई है एवं वादी द्वारा दिनांक 17.04.2026 को प्रकरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है।

केस डायरी में उद्धरित वादी राजू की उपहति आख्या दिनांकित 22.01.2026 में चोटों की प्रकृति के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। न ही वादी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति के साथ अन्य कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या अथवा पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या ही प्रस्तुत की गयी है, जिसके आधार पर चोटों के गंभीर प्रकृति की होने का समाधान किया जा सके।

वादी की ओर से आपत्ति के साथ संलग्न प्रपत्रों की छाया प्रतियों की ओर इंगित करते हुए तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा अभियुक्त को विभिन्न तिथियों में धनराशियां अन्तरित की गयी हैं। तत्सम्बन्ध में प्रपत्रों के परिशीलन से विदित होता है कि कथित धनराशि सिन्धु यादव एवं रजत यादव को वर्ष 2023 से 2025 के मध्य अन्तरित किया जाना वर्णित किया गया है एवं वादी द्वारा तत्समय

प्राथमिकी दर्ज कराया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

इसके सापेक्ष अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ सहायक पुलिस आयुक्त, छत्ता कमिश्नरेट, आगरा की जांच आख्या की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार वादी राजू द्वारा दिनांक 22.01.2026 की कथित घटना की जांच आख्या दिनांकित 03.03.2026 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि आवेदक द्वारा विपक्षीगण से पूर्व रंजिश के कारण दबाव बनाने हेतु शिकायत किया जाना परिलक्षित होता है एवं लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं। उक्त आख्या के खण्डन में वादी की ओर से आपत्ति के साथ कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपितु जांच आख्या को मिथ्या होना वर्णित किया गया है। इस स्तर तक उपलब्ध प्रपत्रों में वादी द्वारा अभियुक्त को कथित तीस हजार रूपये दिये जाने के संबंध में भी कोई सुसंगत प्रलेख उपलब्ध नहीं हैं।

आवेदक/अभियुक्त मनोज यादव उर्फ मोनू यादव इस प्रकरण में दिनांक 04.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। यद्यपि अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अनेक मामलों का आपराधिक इतिहास होना कहा गया है, परन्तु तत्सम्बन्ध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के आपराधिक प्रकरण में से कुछ अभियोगों में अभियुक्त जमानत पर है एवं कुछ में उसे दोषमुक्त किया जा चुका है, जिनका विस्तृत विवरण जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र. में दिया गया है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

तदैव मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभियुक्त मनोज यादव उर्फ मोनू यादव का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मनोज यादव उर्फ मोनू यादव का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त मनोज यादव उर्फ मोनू यादव द्वारा **मु0 50,000/–रू0** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा
19.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.20 06:58:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court